

उत्तर प्रदेश रेजिडेंट्स एम्प्लॉइज कंपनी
ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी और अन्य

बनाम

नया ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और अन्य

3 मई, 1990

[के.एन. साइकिया और के. रामास्वामी, जेजे.]

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976: नोएडा-सहकारी आवास समितियाँ-भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि-उसके बदले भूमि का आवंटन-निर्देश जारी किए गए।

अपीलार्थी, एक पंजीकृत आवास सहकारी समिति, ने 1973 से 1975 की अवधि के दौरान लगभग 70 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधिनियमन के बाद, राज्य सरकार ने एक औद्योगिक विकास संगठन का गठन किया। प्राधिकरण को नोएडा कहा जाता है। उक्त प्राधिकरण के गठन के तुरंत बाद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिसूचनाएं जारी की गईं, जिसमें अपीलकर्ता सोसायटी सहित कुछ भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

अपीलार्थी और कई अन्य समितियों ने अधिग्रहित भूमि के बदले में भूमि की मांग की। एक उप-समिति का गठन किया गया और यह था उन समितियों के प्रामाणिक सदस्यों को विकसित भूखंडों की पेशकश करने का प्रस्ताव है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। रुपये की अनुमानित दर। 130 प्रति वर्ग मीटर तय किया गया था। यह भी निर्धारित किया गया था कि दोनों देशों के बीच नोएडा त्रिपक्षीय

समझौते से पहले कीमत का 30 प्रतिशत जमा करना होगा। सहकारी समितियाँ और व्यक्तिगत सदस्य योजना को अंतिम रूप देने के बाद बनाए जाते हैं।

अपीलकर्ता सोसायटी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि नोएडा द्वारा की गई कार्रवाई मनमाना थी और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी। इस बीच, प्राधिकरण ने अपीलकर्ता सोसायटी को सूचित किया था कि अंततः भूमि की पेशकश करने का निर्णय लिया गया था, और यह कि 20 प्रतिशत राशि का भुगतान करना था। एक निर्धारित समय के भीतर जमा किया जाए। सोसायटी ने अनुरोध किया कि समय का विस्तार। समय नहीं बढ़ाया गया था और सोसायटी नहीं थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि प्राधिकरण ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया और समय नहीं बढ़ाना मनमाना और भेदभावपूर्ण था देशी। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित भूमि मूल्य को भी चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थी समाज को किसी विशेष भूमि को प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था और न ही उसे प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायत का लाभ उठाएँ। विशेष द्वारा यह अपील छुट्टी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है।

अपील का निपटारा करते हुए, यह न्यायालय, अभिनिर्धारित किया कि:-

1. इस अदालत के अंतरिम आदेश दिनांक 30.5.83, 19.3.84, 30.4.84 और 8.5.85 इस क्रम में विलय हो जाएगा। [70 बी]
2. उच्च न्यायालय के दिनांकित 6.5.83 के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है। वे व्यक्ति जो 1 मई, 1976 को सोसायटी के पात्र सदस्य थे 600 से अधिक। सदस्यों

को आवंटित किया जाने वाला कुल क्षेत्र सोसायटी विकसित भूखंडों के रूप में 28.8 एकड़ होगी। यह जनवरी, 1973 और सितंबर, 1975 के बीच छलेड़ा बांगर और सुथारी गाँवों में सोसायटी द्वारा अधिग्रहित कुल 72 एकड़ भूमि का 40 प्रतिशत है। आबंटन सेक्टर 40,41 और 42 में किया जाएगा और यदि इन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में भूखंड उपलब्ध नहीं हैं, तो आसपास के क्षेत्रों से। आवंटित किए जाने वाले भूखंडों को नोएडा द्वारा 1 मई, 1990 से शुरू होकर 31 जनवरी, 1991 को समाप्त होने वाली नौ महीने की अवधि के भीतर विकसित किया जाना है। सोसायटी के पात्र सदस्यों को आबंटित नोएडा प्रति होगा आवंटित भूखंडों की कीमत रुपये की दर से वसूल करने के लिए मिट्ट किया गया। 1.000 प्रति वर्ग मीटर। प्रत्येक सदस्य जिसने प्रस्तावित आवंटन के बदले नोएडा में कोई भी राशि जमा की है, वह 12 प्रतिशत का हकदार होगा। जमा की तारीख से वास्तविक आवंटन तक ऐसी राशि पर ब्याज और व्यक्तियों के पक्ष में उपार्जित ऐसा ब्याज 1,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से निर्धारित की जाने वाली भूमि की वास्तविक कीमत पर ऐसे ब्याज के समायोजन का हकदार होगा। शेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान सोसायटी के प्रत्येक पात्र सदस्य द्वारा अब से तीन महीने के भीतर तीन समान मासिक किश्तों में कुल मिलाकर 600 से अधिक नहीं करना होगा। पहली किश्त का भुगतान 31 मई, 1990 को या उससे पहले किया जाएगा। दूसरी किश्त का भुगतान 30 जून, 1990 को या उससे पहले और तीसरी किश्त का भुगतान 31 जुलाई, 1990 को या उससे पहले किया जाना है। सोसायटी का यह दायित्व होगा कि वह इन निर्देशों के प्रत्येक सदस्य को विधिवत सूचित करे और समय कारक के रूप में ऊपर बताई गई समय सीमा के भीतर इनमें से किसी भी किश्त का भुगतान करने में विफलता ऐसे व्यक्ति को आवंटन से अयोग्य ठहरा देगी और नोएडा इसके बाद केवल बैंक ब्याज दर के साथ चूककर्ता के खाते में पड़े धन को वापस करने के लिए बाध्य होगा। यदि हीरालाल चावला के मामले में पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है,

तो इसमें पक्षकार इस निर्णय की पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। समान हद तक। प्रत्येक आबंटित व्यक्ति इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। कि न तो वह या पति या पत्नी, और न ही आश्रित बच्चे किसी अन्य संपत्ति के मालिक हैं। नोएडा के भीतर भूखंड या घर या फ्लैट। नोएडा द्वारा निर्धारित सभी मानदंड विकास के मामले में सख्ती से पालन किया जाएगा। पर्यवेक्षण उसका संचालन निश्चित रूप से नोएडा द्वारा किया जाएगा। समाज सह करेगा। इस संबंध में नोएडा के साथ काम करें। [70 बी-एच; 71 ए-बी]

हीरालाल चावला और अन्न बनाम यू.पी. राज्य और अन्य, [1990] 1 जेटी एससी 194, आवेदन किया।

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 5502/1983।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 1980 की सं. 6563 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 6.5.1983 से।

एस.एस. रे, डी.डी. ठाकुर, श्रीमती सी. मार्कण्डेय, एस. मार्कण्डेय, डब्ल्यू.ए. नोमानी, जी.एस. गिरी राव, आर.के. रैना और जे.एम. खन्ना याचिकाकर्ता के लिए।

बी.डी. अग्रवाल, श्रीमती एस. रामचंद्रन, आर. रामचंद्रन, एच.के. पुरी, श्रीमती एस. दीक्षित और ए.के. गुप्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय के.एन. साइकिया, जे. द्वारा दिया गया था।

अपीलार्थी संख्या 1 एक पंजीकृत आवास कंपनी है। यू.पी. सहकारी समितियों के तहत पंजीकृत ऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, जिसमें पंजीकरण संख्या 2130 दिनांक 27.3.1973 है, इसके बाद निर्दिष्ट किया गया है। 'समाज' के रूप में, और अपीलार्थी सं. 2, 3 और 4 क्रमशः हैं। सोसायटी के अध्यक्ष, सचिव और खजांची का उद्देश्य सोसायटी अपने सदस्यों के लिए आवासीय निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करेगी। उनके

लिए घर इसके सदस्य केंद्र और राज्य सरकार हैं। कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी; और 70 एकड़ से अधिक छल्लेरा बांगर और सुथारी गाँवों में स्थित भूमि का अधिग्रहण किया गया था। जनवरी, 1973 और सितंबर, 1975 के बीच सोसायटी।

उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ क्षेत्रों के विकास के लिए औद्योगिक और शहरी बस्ती और उससे जुड़े मामलों के लिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976, इसके बाद संदर्भित 'अधिनियम' के रूप में अधिनियमित किया गया था और उसके बाद यू.पी. सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 17.4.1976 में नामित गाँवों को घोषित किया गया। औद्योगिक विकास के लिए अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची अधिनियम के अर्थ के भीतर का क्षेत्र, जिसे "नोएडा" कहा जाएगा।

इस प्राधिकरण के गठन के तुरंत बाद एस. एस. के तहत एक अधिसूचना। और 17 (उप-धारा (1) धारा 4 और उप-एस। (4 धारा 17) भूमि अधिग्रहण अधिनियम का यू.पी. असाधारण राजपत्र दिनांक 30.4.1976 में प्रकाशित किया गया था। यह कहते हुए कि नियोजित औद्योगिक विकास के लिए गाँव छालेरा बांगर में भूमि की आवश्यकता थी। अपीलार्थी सोसायटी की भूमि को अधिसूचना में शामिल किया गया था। 30.4.1976 दिनांकित अधिसूचना की निरंतरता में, धारा 6 के तहत एक और अधिसूचना दिनांक 1.5.1976 जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि अनुसूची में उल्लिखित भूमि (यानी गाँव छालेरा बांगर) की आवश्यकता सार्वजनिक उद्देश्य के लिए और धारा 7 के तहत थी। बुलंदशहर के कलेक्टर को उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए आदेश लेने का निर्देश देने के लिए उस अधिनियम का।

उप-धाराओं (1) धारा 4 के तहत एक अधिसूचना। भूमि अधिग्रहण का अधिनियम 1.6.1976 पर जारी किया गया था जिसमें सूचित किया गया था कि अनुसूची में उल्लिखित भूमि (यानी सुथारी गाँव में भूमि आदि) की आवश्यकता

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए थी और यह मामला तात्कालिक था और इस तरह उप के प्रावधान थे। धारा (1) 17 उक्त अधिनियम एस के तहत भूमि अधिसूचना पर लागू थे। 6 उस अधिनियम की धारा 1 को यह अधिसूचित करते हुए जारी किया गया था कि अनुसूची में उल्लिखित भूमि (अर्थात् सुथारी गाँव आदि) की आवश्यकता सार्वजनिक उद्देश्य के लिए और धारा 1 के तहत थी। 7 उस अधिनियम के तहत उसने कलेक्टर को उक्त भूमि के अधिग्रहण का आदेश देने का निर्देश दिया।

अपीलार्थी समिति और अन्य पंजीकृत सहकारी समिति खडाइजी, आयुक्त और सचिव, आवास और शहरी विकास, उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को देखने के लिए। 19.10.1979 पर आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि साइटें होंगी। नोएडा मास्टर प्लान के आधार पर दिल्ली के निकटतम विभिन्न सहकारी समितियों को दिया गया जो विचाराधीन था। उस बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सोसायटी के सदस्यों को दिए जाने वाले क्षेत्र का 35 प्रतिशत हिस्सा सोसायटी के कुल अधिग्रहित क्षेत्र में से प्लॉट किया जाएगा। कार्यकारी अधिकारी नोएडा ने अपने पत्र का वीडियो बनाया। दिनांक 1 ने सूचित किया कि जिन सहकारी समितियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उनके प्रामाणिक सदस्यों को विकसित भूखंडों की पेशकश करने का प्रस्ताव था। एक अनुमानित दर रुपये की पेशकश की गई थी। 130 सेक्टर 30, 31, 34, 39 और 40 में प्रति वर्ग मीटर। उस पत्र में कुछ शर्तें भी रखी गई थीं और शर्तों में से एक यह थी कि विकसित भूखंडों के क्षेत्र की कीमत के 30 प्रतिशत के बराबर राशि की गणना रु. 130 प्रति वर्ग मीटर नोएडा के पक्ष में भेजा जाना चाहिए और उसके बाद लेआउट योजना को अंतिम रूप देने के बाद नोएडा, सहकारी समितियों और व्यक्तिगत सदस्यों के बीच त्रिपक्षीय समझौता करना होगा।

यह आरोप लगाते हुए कि नोएडा द्वारा की गई मनमानी कार्रवाई अब तक की गई थी। अपीलार्थी सोसायटी के लिए स्वीकार्य नहीं, इसने सिविल विविध दायर किया।

लेखन याचिका जारी अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए 29.7.1980 पर 1980 का सं. 6563 धारा 4 और 6 के तहत और भूमि अधिग्रहण अधिनियम का रिट याचिका थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार किया लेकिन रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। सोसायटी ने मूल भूमि पर सदस्यों के पुनर्वास पर जोर दिया। सरकार की नीति के आधार पर। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सोसायटी को सूचित किया कि प्राधिकरण ने अंततः निर्णय लिया है कि सेक्टर 30, 31, 36 और 40 में भूमि की पेशकश करते हैं और इसका 20 प्रतिशत राशि जमा करनी थी, लेकिन सोसायटी ने जमा नहीं की। निर्धारित समय तक राशि। सोसायटी ने विस्तार के लिए अनुरोध किया समय, लेकिन नोएडा ने इसका विस्तार नहीं किया और अपीलकर्ता सोसायटी ने कोई भूमि आवंटित नहीं की गई। जैसा कि वर्ष में रिट याचिका दायर की गई थी। 1980 यानी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के तीन साल से अधिक समय बाद, विवादित अधिसूचनाओं को एक खंड पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया रिट याचिका। अपीलार्थी-सोसायटी ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि प्रार्थना के अनुसार समय बढ़ाना मनमाना और भेदभावपूर्ण था। यह उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो विकसित भूखंड देने की पेशकश करते हैं। अपीलार्थी-समाज केवल एक रियायत के रूप में था न कि कानूनी अधिकार के रूप में; प्राधिकरण समय बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं था। अपीलार्थी-समाज लांट-समाज को किसी विशेष भूमि को प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था और यह कि सोसायटी ने प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायत का लाभ नहीं उठाया।

इसलिए विवादित व्यक्ति की ओर से विशेष अनुमति द्वारा यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 1980 सिविल विविध रिट याचिका संख्या 6563 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 6.5.1983 से।

30.5.1983 को विशेष छुट्टी देते समय एक आदेश था। निष्कासन पर एकतरफा रोक नोटिस के लंबित रहने तक; लेकिन निष्पादन कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई। सी.एम.पी. संख्या 16786 में 19.3.1984 पर 1983 में यह आदेश दिया गया था कि श्री मार्कण्डेय, अधिवक्ता की ओर से याचिकाकर्ता प्रतिवादी नए को एक अभ्यावेदन देंगे। एक उपयुक्त स्थल और प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाएगा। स्वयं के गुण और दो के भीतर प्रत्यर्थी द्वारा उस पर लिया गया निर्णय उस आदेश की तारीख से महीनों। 30.4.1984 श्री जी.एल. सांघी पर नोएडा की ओर से पेश होकर न्यायालय के समक्ष बयान दिया था कि नोएडा ने वचन दिया कि इस अपील की अनुमति दिए जाने की स्थिति में नोएडा अपीलार्थियों को ऐसे क्षेत्र देगा जो यह न्यायालय इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले मूल्यों पर सेक्टर 40 और 41 से निर्दिष्ट कर सकता है। श्री जी.एल. द्वारा दिया गया उपक्रम संघी नोएडा तक सीमित था जो अपीलार्थियों और उन व्यक्तियों को सेक्टर 40 और 41 से क्षेत्र देता था जो 1 मई, 1976 को सोसायटी के योग्य सदस्य थे। इन आदेशों को दोनों पक्षों में अपील के अधिकारों और तर्कों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना कहा गया था।

8.5.1985 को दिनांकित 30.4.1984 आदेश को इसके द्वारा संशोधित किया गया था। न्यायालय ने निर्देश दिया कि नोएडा अपीलार्थियों को ऐसे क्षेत्र देगा जो यह न्यायालय इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्धारित की जाने वाली कीमत पर सेक्टर 40, 41 और सेक्टर 42 से भी निर्दिष्ट कर सकता है। यदि याचिकाकर्ताओं में से किसी को भी इनमें से किसी भी क्षेत्र में समायोजित नहीं किया जा सकता है, तो नोएडा उन्हें ऐसी जगह या क्षेत्र देगा जो सेक्टर 40, 41 और 42 से सटा हुआ। 18.1.1990 पर इस अपील को नोएडा मामलों के समूह से अलग कर दिया गया था।

निर्णय और आदेश दिनांक 13.2.1990 द्वारा मुख्य रिट-याचिका 1986 का सं. 975-हीरालाल चावला और अन्न बनाम यू.पी. और अन्य का राज्य। आज एस.सी. 194

को आवंटन के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या और आवंटित किए जाने वाले भूखंडों के आकार को बताते हुए निपटारा गया और निर्देश दिया गया कि 1 मार्च, 1990 से शुरू होने वाली नौ महीने की अवधि के भीतर नोएडा द्वारा साइटों को विकसित किया जाए और 1,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सहमत मूल्य वसूल कर और वास्तविक आवंटन तक जमा की गई राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करके उन्हें आवंटित किया जाए और ब्याज को समायोजित किया जाएगा। आवंटित भूमि पर देय मूल्य के विरुद्ध। पहली, दूसरी और तीसरी किशतों के भुगतान की तारीखों पर भी सहमति बनी। यह देखा गया कि नोएडा में नगर नियोजन को अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कहा गया था और यह उस बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है जिसका उत्तर प्रदेश का मुख्य नगर और ग्राम योजनाकार सदस्य था। तदनुसार यह निर्देश दिया गया कि विकास के मामले में नोएडा द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इस कार्रवाई का पर्यवेक्षण नोएडा द्वारा किया जाना चाहिए और इस संबंध में अपील लैंट नोएडा के साथ मिलकर काम करेंगे।

जब इस अपील की सुनवाई 5.4.1990 को हुई तो सर्वसम्मति थी। कि पक्षकारों के साथ न्याय किया जाएगा, यदि इस अपील का भी हीरालाल चावला और अन्य बनाम यू.पी. और अन्य का राज्य, (उपरोक्त) के समान शर्तों पर निपटारा किया जाता है। हालांकि, पक्षों को दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। लिखित प्रस्तुतियाँ। तदनुसार लिखित प्रस्तुतियाँ प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गईं। विचार, अपीलार्थियों द्वारा उसके उत्तर में, और मध्यस्थ के लिए।

पहले के अंतरिम आदेशों को ध्यान में रखते हुए, सर्वसम्मति सुनवाई और लिखित प्रस्तुतियों पर पहुंचने के बाद, हीरालाल (उपरोक्त) के अनुरूप यह आदेश दिया जाता है कि 30.5.83, 19.3.84, 30.4.84 और 8.5.85 दिनांकित अंतरिम आदेश इस आदेश में विलय हो जाएंगे। उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया

जाता है और यह आदेश दिया जाता है: (क) कि आबंटन के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या उन व्यक्तियों तक सीमित होगी जो 1 मई, 1976 को सोसायटी के पात्र सदस्य थे जो 600 (छह सौ) से अधिक नहीं थे। (बी) सोसायटी के सदस्यों को आवंटित किया जाने वाला कुल क्षेत्र विकसित भूखंडों के रूप में 28.8 एकड़ होगा। यह जनवरी, 1973 और सितंबर, 1975 के बीच छलेड़ा बांगर और सुथारी गाँवों में सोसायटी द्वारा अधिग्रहित कुल 72 एकड़ भूमि का 40 प्रतिशत है। (ग) आबंटन क्षेत्रों में किया जाएगा। 40, 41 और 42 और यदि इन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में भूखंड उपलब्ध नहीं हैं, तो आस-पास के क्षेत्रों से। ((घ) आवंटित किए जाने वाले भूखंड नौ महीने की अवधि के भीतर नोएडा द्वारा विकसित किए जाने हैं। 1 मई, 1990 से शुरू होकर 31 जनवरी, 1991 को समाप्त होने वाली तारीख तक सोसायटी के पात्र सदस्यों को भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे। (ई) नोएडा को आवंटित भूखंडों की कीमत 1,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूलने की अनुमति होगी। (च) प्रत्येक सदस्य जिसने प्रस्तावित आबंटन के बदले नोएडा में कोई भी राशि जमा की है, वह जमा की तारीख से वास्तविक आबंटन तक ऐसी राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज का हकदार होगा और व्यक्ति के पक्ष में उपार्जित ऐसा ब्याज भूमि की वास्तविक कीमत के खिलाफ इस तरह के ब्याज के समायोजन का हकदार होगा। 1,000 प्रति वर्ग मीटर। शेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान सोसायटी के प्रत्येक पात्र सदस्य द्वारा अब से तीन महीने के भीतर तीन समान मासिक किश्तों में कुल मिलाकर 600 से अधिक नहीं करना होगा। पहली किस्त का भुगतान मई को या उससे पहले किया जाएगा। 31, 1990, 30 जून, 1990 को या उससे पहले भुगतान की जाने वाली दूसरी किश्त और तीसरी किस्त जिसका भुगतान 31 जुलाई, 1990 को या उससे पहले किया जाना है। (जी) सोसायटी का यह दायित्व होगा कि वह इनके प्रत्येक सदस्य को विधिवत सूचित करे। ऊपर दर्शाई गई समय सीमा के भीतर किश्तों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आबंटन से व्यक्ति और

नोएडा इसके बाद केवल बाध्य होंगे। बैंक दर के साथ चूककर्ता के खाते में पड़े पैसे को वापस करें ब्याज। (ज) पक्षों द्वारा यह कहा गया है कि एक समीक्षा आवेदन में हीरालाल चावला का मामला लंबित है। जैसा कि पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है कि समीक्षा की अनुमति है, इसमें पक्षकार आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे समान सीमा तक इस निर्णय की समीक्षा। ((1) प्रत्येक आबंटित व्यक्ति करेगा। इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि न तो वह या पति/पत्नी, न ही आश्रित बच्चों के पास नोएडा के भीतर कोई अन्य भूखंड या घर या फ्लैट है।

नोएडा में नगर नियोजन के अनुसार कहा जाता है। स्वयं द्वारा निर्धारित मानदंड और वही बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का सदस्य मुख्य नगर और ग्राम योजनाकार एक है। हम निर्देश देते हैं कि विकास के मामले में नोएडा द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इस संचालन का पर्यवेक्षण निश्चित रूप से नोएडा द्वारा किया जाएगा, लेकिन हम आशा और विश्वास करते हैं कि सोसायटी इस संबंध में नोएडा के साथ सहयोग करेगी। लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना इन निर्देशों के साथ अपील का निपटारा किया जाता है।

जी.एन.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।